



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-104

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268623 दिनांक 25/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vinod Kumar Jain S/o Sujan Chand Jain	श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री किसना राम यादव	31	458.33 SQ. YARD	Private	PINK CITY ENCLAVE Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की योजना पिकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 458.33 वर्ग गज की लीजडीड श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री किसना राम यादव के नाम से दिनांक 21.08.09 को जारी की गयी है। तत्पश्चात जोन कार्यालय द्वारा पत्रांक डी-9053 दिनांक 19.12.2024 को श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम निवास यादव के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.01.2025 के द्वारा श्री नन्द



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

लाल सैनी पुत्र श्री
कन्हैया लाल सैनी
को कर दिया
गया। तत्पश्चात
श्री नन्द लाल
सैनी द्वारा उक्त
भूखण्ड में से
उत्तरी भाग
क्षेत्रफल 250.00
वर्ग गज का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
11.11.2025 के
द्वारा श्री विनोद
कुमार जैन पुत्र श्री
सुगन चन्द जैन
को कर दिया
गया। आवेदक
द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण एवं
उपविभाजन किये
जाने हेतु आवेदन
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vinod Kumar Jain S/o Sugan Chand Jain को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004